न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 86/2022

	प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1	प्रकाश पुत्र नारायण	1	गोराराम
2	सुगनी पुत्री नारायण पत्नी चेनाराम जाति माली निवासी बेरा पिच निचला सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0)	2	लक्ष्मणराम पिसरान जेठाराम जाति माली निवासी निचला पिचका सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0)
3	सोहनी पुत्री नारायण पत्नी लक्ष्मण जाति माली निवासी नयापुरा सोजतसिटी तह0 सोजत जिला पाली (राज0)	3	तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत जिला पाली।
4	नारूराम पुत्र लाबुराम		
5	हेमाराम पुत्र लाबुराम जाति माली निवासी बेरा अम्बावाड़ी सोजतसिटी तह0 सोजत जिला पाली (राज0)		

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश दवे, कुन्दनमल अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः—3/10/2022

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट 1955 के तहत इस आधार पर प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत के सेटलमेन्ट पूर्व के पुराने खसरा नम्बर 308/1, 308/3, 308/4, 308/8, 308/9, 308/12, 308/13, 308/15 कुल खसरा 08 कुल रकबा सवा चारा बीघा चार बिस्वा भूमि प्रार्थी संख्या 1 से 3 के दादा व प्रार्थी संख्या 4 व 5 के नाना नारायण के पिता किस्तुर बेटा उमाजी के एकमात्र खातेदारी, कब्जा काश्त की स्थित है, जो कृषि भूमि बेरा पिच निचला के नाम से जानी पहिचानी जाती है। सेटलमेन्ट पूर्व के जोधपुर गर्वनमेन्ट द्वारा जारी खतौनी व जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2025 , सम्वत् 2030 से 2033 बखुबी स्पष्ट है। उक्त कृषि भूमि के वक्त सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 4653, 4654, 4667, 4646, 4647, 4661, 4662, 4663, 4658 कायम हुये, यह भूमि बेरा पिच निचला से खसरा मिलान में दर्ज हुई, जो खसरा मिलान से बखुबी स्पष्ट है। प्रार्थी संख्या 1 से 3 के दादा व प्रार्थी संख्या 4 व 5 के नाना नारायण के पिता किस्तुर ने अपने जीवनकाल में अपने तीनों पुत्रो क्रमशः नारायणलाल, जेठाराम, जोराराम को अलग अलग भूमि नाप कर काबिज करवा दिया था तथा तब से प्रार्थीगण के पिता व नाना नारायणलाल अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग व उपभोग करने लग गये। नारायण, जोराराम व जेठाराम का स्वर्गवास हो चुका है। नारायणलाल के उतराधिकारी, वारिसान प्रार्थीगण है। प्रार्थीगण के पिता/नाना नारायणलाल के हक हिस्से में खसरा नम्बर 4653 रकबा 0.0800 हैक्टर व खसरा संख्या 4654 रकबा 0.0400 हैक्टर भूमि का खसरा संख्या 4667 रकबा 0.1300 हैक्टर में से 1/2 हक हिस्सा रहा, इसी प्रकार जेठाराम के हक हिस्से में खसरा नम्बर 4646 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 4647 रकबा 0.0800 हैक्टर व 4661 रकबा 0.0400 हैक्टर रही व इसी प्रकार जोराराम के हक हिस्से में खसरा संख्या 4661 रकबा 0.0500 हैक्टर व खसरा नम्बर 4662 रकबा 0.0500 हैक्टर व खसरा नम्बर 4663 रकबा 0.0900 हैक्टर रही व खसरा नम्बर 4667 रकबा 0.1300 हैक्टर रकबा 0.1300 हैक्टर में से 1/2 हक हिस्सा रहा तथा इसी प्रकार खसरा संख्या 4658 रकबा 0.2000 हैक्टर गै.मु. मकान दर्ज था, जिसमें 1/2 हक हिस्से में जोराराम, नारायणराम व जेठाराम का संयुक्त रूप से 1/2 हक हिस्सा खातेदारी का था,

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

जिनके द्वारा अपने अपने हक हिस्से में से मकान विक्रय भी किये गये, उक्त माफिक मौके पर काबिज काश्त होकर उपयोग व उपभोग करने लगे। उक्त वर्णित कृषि भूमि में से खसरा संख्या 4654 रकबा 0.0400 हैक्टर की कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि सेटलमेंट पूर्व के पुराने खसरा संख्या 308/1, 308/3, 308/4, 308/9, 308/12, 308/13, 308/15 की कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वज किस्तुर बेटा उमाजी की खातेदारी, कब्जा काश्त की स्थित थी, तथा किस्तुर द्वारा अपने जीवनकाल में अपने तीनो पुत्रो को बहिस्सा बराबर अलग अलग भूमि सुपुर्द कर दी तथा माफिक हक हिस्से अनुसार किस्तुर बेटा उमा के तीनो पुत्र नारायणलाल, जोराराम व जेठाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में अलग अलग इन्द्राज की गई, तत्पश्चात् तीनो भाईयो द्वारा आपसी पारिवारिक सेटलमेन्ट कर अपने अपने हक हिस्से की भूमि में से मौके पर काबिज स्थिति अनुसार कब्जे काश्त एवं सुविधाओं को लेकर अपने अपने हक हिस्से की भूमि के पड़ौस में ही एक दुसरे के कब्जे काश्त में दखल न हो, इस अनुसार अदला–बदली विनिमय लिखत निष्पादित की गई तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता जेठा वल्द किस्तुर द्वारा प्रार्थीगण के पिता/नाना नारायण वल्द किस्तुर द्वारा अपने हिस्से में दर्ज खसरा संख्या 4654 रकबा 0.0400 हैक्टर भूमि को अदला–बदली कर लिखत दिनांक 24/11/1977 को अपने अंगुष्ठ निशान कर साक्षीगणों की उपस्थिति में जेठा वल्द किस्तुर के कहेनुसार लिखत नेमीचंद जैन द्वारा लिखत लिखी जाकर तहरीर व तकमील की गई तथा माफिक लिखत अनुसार जेठाराम द्वारा उक्त भूमि का कब्जा प्रार्थीगण के पिता/नाना नारायणलाल को सुपुर्द कर दिया तथा माफिक लिखत जेठा वल्द किस्तुर द्वारा यह भी स्पष्ट लिखत में अंकित किया कि आज के बाद अपने दोनो भाई अपनी अपनी जमीन में सब्जी, खेतीबाड़ी, काश्त करेंगे, आज के बाद में आ जमीन लिखत के हिसाब सू अपने अपने नाम की पटवारी ने अपने नाम करा देंगे, जिनका खर्चा खुद वहन करेंगे कि निष्पादित की गई, जिस अनुसार लिखत दिनांक 24.11.1977 से उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पिता/नाना नारायणलाल के जीवनकाल में कभी जेठाराम व अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी कब्जे, काश्त उपयोग व उपभोग करने लगे तथा दिनांक 24.11.1977 से नारायणलाल व उनके स्वर्गवास पश्चात् प्रार्थीगण उक्त खसरा संख्या 4654 रकबा 0.0400 हैक्टर भूमि पर आज दिनांक तक बिना किसी बाधा, अड़चन के काबिज काश्त होकर बहैसियत मालिक के उपयोग व उपभोग कर रहे है तथा नारायणलाल के जीवनकाल में कभी भी जेठाराम व अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी कब्जे, काश्त उपयोग व उपभोग में कोई उज्र एतराज नहीं किया है। मात्र प्रार्थीगण के पिता/नाना नारायणंजी निरक्षर, अनपढ़ होने के कारण उक्त लिखत अदला–बदली के आधार पर अपना नाम इन्द्राज नहीं करवा सके, जिससे उक्त भूमि जेठा वल्द किस्तुर के नाम ही राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज चली रही, लेकिन उक्त भूमि पर कभी जेठा वल्द किस्तुर व उनके पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कभी भी कब्जा, काश्त, उपयोग व उपभोग आज दिनांक तक नहीं रहा है व खसरा नम्बर 4646 रकबा 0.0300 हैक्टर पहले नारायण का था, जो आपसी लिखत अदला–बदली दिनांक 24.11.1977 से जेठाराम ने अपने सेटलमेन्ट में ही अपने नाम दर्ज करवा दी व खसरा नम्बर 4654 रकबा 0.0400 हैक्टर जो इसी आपसी अदला–बदली लिखत दिनांक 24.11.1977 से नारायण के नाम वक्त सेटलमेन्ट दर्ज की जानी चाहिये थी, जो कि नारायण अनपढ़, निरक्षर होने से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं करवा सके। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि जो कि किस्तुर पुत्र उमा के स्थान पर उक्त जोराराम, जेठाराम व नारायणलाल के नाम राजस्व रेकर्ड मुं दर्ज की गई जो निम्नानुसार दर्ज थी, जिसमें से जेठा पुत्र किस्तुर के हक हिस्से में खसरा संख्या 4646, 4654, 4663 कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.1600 हैक्टर दर्ज थी, जो जेठाराम व जोराराम द्वारा आपसी बदला–बदली लिखत दिनांक 12.11.1982 तहरीर व तकमील की गई, जिस अनुसार जेठाराम के हक हिस्से में जरिये नामान्तकरण संख्या 260 के खसरा संख्या 4646, 4654, 4647, 4661 कुल खसरा 04 कुल रकबा 19.0000 हैक्टर भूमि दर्ज की गई, जो भूमि के खसरा संख्या 4654 विधि विरूद्ध रूप से दर्ज हुई, इसी प्रकार अदला–बदली लिखत से जोरा वल्द किस्तुर के नाम पूर्व में खसरा संख्या 4647,4661, 4662 कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.2200 हैक्टर दर्ज थी, जो लिखत दिनांक 12

उपखण्ड अधिकारी
मोजत

11.1982 से खसरा संख्या 4661, 4662 व 4663 कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.1900 हैक्टर जोरा के नाम दर्ज हुई उक्त विनिमय लिखत दिनांक 12.11.1982 से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता जेठा द्वारा अपने हिस्से की भूमि के खसरा संख्या 4654 रकबा 0.0400 हैक्टर की भूमि की लिखत प्रार्थीगण के पिता/नाना के पक्ष में दिनांक 24.11.1977 को तहरीर व तकमील कर निष्पादित कर दी थी, जिससे भी यह तथ्य स्पष्ट है कि दिनांक 12.11.1982 की लिखत अनुसार जो नामान्तकरण खसरा संख्या 4654 का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम दर्ज किया गया वह विधि विरूद्ध होने से शुन्य, अवैध व निष्प्रभावी है। चूंकि प्रार्थीगण के पिता/नाना नारायण द्वारा दिनांक 24.11.1977 की लिखत अनुसार अपने हक हिस्से की भूमि खसरा संख्या 4646 रकबा 0.0300 हैक्टर को जेठा को सुपुर्द कर दी थी तथा जेठा द्वारा उक्त खसरा संख्या 4654 की भूमि को प्रार्थी के पिता/नाना को सुपुर्द कर दी थी, जिस लिखत दिनांक 24.11.1977 से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एस्टोप्ड़ है। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि खसरा संख्या 4654 रकबा 0.0400 हैक्टर भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता जेठा द्वारा प्रार्थीगण के पिता/नाना के पक्ष में दिनांक 24.11.1977 को लिखत निष्पादित कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था, तब से उक्त भूमि पर नारायणलाल व उनके स्वर्गवास पश्चात् प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त, उपयोग व उपभोग चला आ रहा है तथा उक्त भूमि के चिपते ही स्वयं प्रार्थीगण की स्वयं की भूमि खसरा संख्या 4653 रकबा 0.0800 हैक्टर स्थित है अर्थात् उक्त खसरा संख्या 4653 के चिपते ही खसरा संख्या 4654 स्थित होने से जेठा द्वारा प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में लिखत अपने अपने कब्जे की सुविधा अनुसार निष्पादित की थी, तथा मौके पर प्रार्थीगण की खसरा संख्या 4654 व 4653 पर संयुक्त रूप से ताराबंदी की हुई है, तथा लौहे की जाली भी लगी हुई है तथा लौहे का गेट भी लगा हुआ है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 भी अदला–बदली लिखत अनुसार अपने हक हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है, इसी प्रकार खसरा संख्या 4655व 4656 रकबा 0.0600 हैक्टर भूमि गैर.मु. बेरा व सड़ा की किस्तुर की वारिसान व अन्य सहखातेदारान की संयुक्त सामलाती की है। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि खसरा संख्या 4654 की कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थीगण के पिता/नाना नारायणलाल का स्वर्गवास हो जाने से प्रार्थीगण द्वारा वादस्थ कृषि भूमि के संबंध में फौतेदगी नामान्तकरण की कार्यवाही के संबंध में सम्बन्धित पटवारी हल्का से मार्च 2022 में सम्पर्क किया, जिस पर सम्बंधित पटवारी हल्का द्वारा उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पिता/नाना नारायणलाल पुत्र किस्तुर नाम दर्ज न होकर जेठा पुत्र किस्तुर का नाम दर्ज होने की जानकारी दी, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त वादस्थ भूमि से सम्बंधित राजस्व रेकर्ड की तमाम प्रमाणित प्रतिलिपियां दिनांक 28.03.2022 व अन्य को प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि दिनांक 24.11.1977 की लिखत की पालना में नारायणलाल के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं हुई, जबकि उक्त लिखत की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम राजस्व रेकर्ड में पूर्व में दर्ज की जा चुकी है। मात्र प्रार्थीगण के पिता नाना के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं की गई, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से सम्पर्क कर आपसी सहमति से लिखत के आधार पर उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवाने हेतु दिनांक 04.04.2022 को सम्पर्क किया, तब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थीगण को यह भरोसा व विश्वास दिलाया कि उक्त भूमि आपके ही कब्जे काश्त की है, जिसमें हमारा कोई लेना–देना नहीं है, हक आपस में पारिवारिक स्तर पर बातचीत कर उक्त भूमि आपके नाम राजस्व रेकर्ड में सहमति/अन्तरण दस्तावेज के जरिये 10–15 दिन में इन्द्राज करवा देगे तथा यह भी विश्वास व भरोसा दिलाया कि आप चिन्ता मत करो, क्योंकि उक्त भूमि पर आपका ही कब्जा, काश्त, उपयोग व उपभोग है, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा पुनः 15–20 दिन पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से सम्पर्क कर अपना नाम इन्द्राज करवाने हेतु कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 नाराज हो गये और कहने लगे कि हम हमारे पिता जेठा द्वारा की गई लिखत को नहीं मानते है, कब्जा तुम्हारा हुआ तो क्या हुआ, हम तो हमारा नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा कर तुम्हें उक्त भूमि पर कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग नहीं करने देंगे, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को हाथा–जोड़ी कर ऐसी विधि विरूद्ध कृत्य नहीं करने बाबत् निवेदन किया, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 नहीं माने और एलानियां कहने लगे कि हमने तो उक्त

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

भूमि जेठाराम के स्थान पर हमारे नाम दर्ज करवा दी है, जिसके आधार पर अब हम तुम्हें उक्त भूमि को हमारे नाम इन्द्राज होने के आधार पर अब हक तुम्हें भूमि पर काश्त नहीं करने देंगे तथा तुम्हें उक्त भूमि से बेदखल करके रहेंगे तथा उक्त भूमि को हमारे नाम इन्द्राज होने के आधार पर अन्यत्र विक्रय, हस्तान्तरण, रहन, इत्यादि कर देंगे, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को ऐसा विधि विरूद्ध कृत्य करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपने पिता द्वारा की गई लिखत दिनांक 24.11.1977 से पूर्णतः एस्टोप्ड है तथा लिखत दिनांक 24.11.1977 से प्रार्थीगण के पिता/नाना नारायणलाल का कब्जा काश्त, उपयोग व उपभोग शांतिपूर्वक तरीके से बहैसियत मालिक के चला आया है व उनके स्वर्गवास पश्चात् प्रार्थीगण का कब्जा काश्त, उपयोग व उपभोग है अर्थात् वादस्थ भूमि पर प्रार्थीगण के पिता व उनके पश्चात् प्रार्थीगण का पिछले 45 वर्षों से खुल्लम खुल्ला कब्जा काश्त, उपयोग व उपभोग चला आया है, अप्रार्थीगण व उनके पूर्वज का पिछले 45 वर्षो से उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त, उपयोग व उपभोग आज दिन तक नहीं रहा, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 कब्जे के अभाव में मात्र राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज के आधार पर प्रार्थीगण को वादस्थ भूमि से बेदखल कर कब्जे काश्त, उपयोग व उपभोग मे दखल अन्दाजी करने को आमादा है, इसलिये प्रार्थीगण वादस्थ कृषि भूमि खसरा संख्या 4654 की भूमि के राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का नाम हटवा कर अपने नाम की खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज के आधार पर प्रार्थीगण कब्जे काश्त, उपयोग व उपभोग में दखलअन्दाजी करने को उतारू है, साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज के आधार पर वादस्थ भूमि को कब्जे के अभाव में अन्यत्र विक्रय अन्तरण, रहन इत्यादि को भी आमादा है, जिसका की अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं है, यदि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त विधि विरूद्ध कृत्य करने में सफल हो जाते है, तो प्रार्थीगण अपने मालिकाना, कब्जे काश्त की कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग से मेहरूम हो जायेंगे, जिसका मुल्यांकन कतई रूपयो में नहीं आंका जा सकेगा, इसलिये अप्रार्थीगण को ऐसे विधि विरूद्ध कृत्य करने से रोके जाने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद के निणर्य तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाने तथा सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत के वक्त सेटलमेन्ट नये ख0नं0 नम्बर 4654 रकबा 0.0400 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त, उपयोग व उपभोग, फसल कटाई, अवेराई इत्यादि में बाधा, दखल अप्रार्थी संख्या 1 व 2 कारित नहीं करने व अन्य से कराने तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज के आधार पर अन्यत्र विक्रय, हस्तान्तरण नहीं करने तथा वादस्थ भूमि के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जाने की ईश्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना व तालिम बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही दिनांक 29.09.2022 को की गई।

बहस प्रा0पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 वकुलाय सुनी गई एवं समायत की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि वादस्थ कृषि भूमि खसरा संख्या 4654 रकबा 0.0400 हैक्टर भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता जेठा द्वारा प्रार्थीगण के पिता/नाना के पक्ष में दिनांक 24.11.1977 को लिखत निष्पादित कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था, तब से उक्त भूमि पर नारायणलाल व उनके स्वर्गवास पश्चात् प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त, उपयोग व उपभोग चला आ रहा है तथा उक्त भूमि के चिपते ही स्वयं प्रार्थीगण की स्वयं की भूमि खसरा संख्या 4653 रकबा 0.0800 हैक्टर स्थित है अर्थात् उक्त खसरा संख्या 4653 के चिपते ही खसरा संख्या 4654 स्थित होने से जेठा द्वारा प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में लिखत अपने अपने कब्जे की सुविधा अनुसार निष्पादित की थी, तथा मौके पर प्रार्थीगण की खसरा संख्या 4654 व 4653 पर संयुक्त रूप से ताराबंदी की हुई है। दिनांक 24.11.1977 की लिखत की पालना में नारायणलाल के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं हुई, जबकि उक्त

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

लिखत की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम राजस्व रेकर्ड में पूर्व में दर्ज की जा चुकी है। अप्रार्थीगण ने हमारे पिता जेठा द्वारा की गई लिखत को नहीं मानते है, कब्जा तुम्हारा हुआ तो क्या हुआ, हम तो हमारा नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा कर तुम्हें उक्त भूमि पर कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग नहीं करने देंगे, अप्रार्थी यदि ऐसा करने में सफल हो जाते है कि प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी । जिससे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोके जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहब वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। लिखित दिनांक 24.11.1977 के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज नही किया जाना प्रतित होता है। यद्यपि मौके पर अपनी अन्य भूमि के चिपते ही उक्त वादस्थ कृषि भूमि होना जिस पर प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं फहरिस्त मय रंगीन फोटो अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। उभय पक्षो के हक अधिकारों को मूल वाद में बाद साक्ष्य सबूत बहस सुन विवेचन पश्चात विनिश्चित किया जायेगा। तथापि हस्ब प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज आदि से प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते है। लिहाजा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना व रेकर्ड मौके की यथास्थिति वाद निर्णय तक बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना उचित समझते है।

–::आदेश::–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 का इस आशय का स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के ख0नं0 नम्बर 4654 रकबा 0.0400 हैक्टर की कृषि भूमि की वर्तमान मौका व रेकर्ड की यथास्थिति (Status Quo) बनाये रखने हेतु अधिवक्ता मय अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर निर्णय से कम है। बाद तकमील जाब्ता मूलवाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जागिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जागिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत